न्यायालयः– अंचल अधिकारी,गावाँ जिला–गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार– विविध वाद **अभिलेख सं0–** 15/2020-21

आदेश का क्रम सं0 एवं तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
30/10/25	यह अभिलेख राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उप–निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक दिलीप मिस्त्री पिता– चमरू मिस्त्री एवं अन्य साकिन–चिुहंटिया के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आवेदन में अंकित मौजा चिहुंटिया थाना नं0–330 के अंतर्गत खाता नं0–28 प्लॉट नं0– 753 रकवा–0.18 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। सर्वे खतियान आवेदकगण के पूर्वज मोहर बढई वगैरह पिता–अमृत बढई वगैरह के नाम से इन्द्राज है, के संदर्भ में आरोप है कि वर्णित भूमि पर श्री राम यादव, कुलेश्वर यादव एवं बालेश्वर यादव पे0– स्व0 नारायण यादव के द्वारा बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इस संदर्भ में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदति किया गया है कि स्थल जाँच के क्रम में स्थानीय ग्रामीण के द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत प्लॉट सं0–753 के सटे प्लॉट सं0– 752, 754 एवं 755 पर क्रमशः अशोक साव पिता–महेन्द्र साव, कुलेश्वर यादव, बागेश्वर सिंह के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है जो यह दर्शाता है कि किसी के रैयती भूमि पर बिना उनके अनुमति के वृक्षारोपण का कार्य विवाद को जन्म देता है। चुंकि उक्त भूमि रैयती खाते की है एवं स्वत्व वाद से संबंधित है जो अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार(Jurisdiction) से बाहर है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित [signature] 30/10/25 अंचल अधिकारी गावाँ [signature] 30-X-25 अंचल अधिकारी गावाँ।	

Digitally signed by Avinash Ranjan
Date: 2025.11.03 01:29:50 +05'30
Location: 10.193.217.76